भारत सरकार
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

शिक्षु अधिनियम, 1961

(1961 का अधिनियम संख्यांक 52)
[1 सितम्बर, 1984 को यथाविद्यमान]

The Apprentices Act, 1961

(ACT N0. 52 OF 1961)
[*As on the 1st September,1984*]

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन-
नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 द्वारा प्रकाशित ।
1984
मूल्यः (देश में) 2.15 रूपए; (विदेश में) 0.25 पौंड, 78 सैंट्स

प्रथम संस्करण का प्राक्कथन

यह 1 नवम्बर, 1971 को यथाविद्यमान शिक्षु अधिनियम, 1961 का द्विभाषीय संस्करण है । इसमें अधिनियम का प्राधिकृत हिन्दी पाठ, उसके अंग्रेजी पाठ सहित, दिया गया है । अधिनियम का हिन्दी पाठ तारीख 2 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, अनुभाग 1क, संख्यांक 8, खण्ड V में पृष्ठ 845 से 864 में प्रकाशित हुआ था ।

इस हिन्दी पाठ को राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हुआ और इस प्रकार प्रकाशित होने पर, उस अधिनियम का अब यह हिन्दी में प्राधिकृत पाठ है ।

नई दिल्ली ः **एन0 डी0 पी0 नम्बूदिरिपाद,**

1 नवम्बर, 1971 संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

द्वितीय संस्करण का प्राक्कथन

शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के प्रथम द्विभाषीय संस्करण की प्रतियां बिक गई हैं इसलिए इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है । प्रस्तुत पाठ में 1 नवम्बर, 1976 तक के सभी संशोधनों का समावेश कर दिया गया है। इस संस्करण में अधिनियम का विधायी इतिहास भी दिया गया है।

नई दिल्ली ः **के0 के0 सुन्दरम्,**

1 नवम्बर, 1976 सचिव, भारत सरकार।

पुनःमुद्रित ः 1 जुलाई, 1978

पुनःमुद्रित ः 1 सितम्बर, 1984

संशोधन अधिनियमों की सूची

1. रिपीलिंग एंड अमेंडिंग ऐक्ट, 1964 (1964 का 52)।
2. केन्द्रीय विधि (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1968 (1968 का 25)।
3. शिक्ष् ाॅ (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 27)।

प्रथम संस्करण, 1971--500
दूसरा संस्करण, 1976--2000
पुनःमुद्रण, 1978--2000
पुनःमुद्रण, 1 सितम्बर, 1984--2200

शिक्षु अधिनियम, 1961

धाराआं। का क्रम

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धाराएं पृष्ठ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना 1
2. परिभाषाएं 1

अध्याय 2

शिक्षु और उनका प्रशिक्षण

3. शिक्षु के रूप में रखे जाने के लिए अर्हताएं 4

3क. अभिहित व्यवसायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशिक्षण स्थानों का आरक्षण 4

4. शिक्षुता-संविदा 4
5. शिक्षुता-संविदा का नवीयन 5
6. शिक्षुता-प्रशिक्षण की कालावधि 5
7. शिक्षुता-संविदा का पर्यवसान 5
8. अभिहित व्यवसाय के लिए शिक्षुओं की संख्या 6
9. शिक्षुओं का व्यावहारिक एवं बुनियादी प्रशिक्षण 7
10. शिक्षुओं का संबंधित शिक्षण 9
11. नियोजकों की बाध्यताएं 9
12. शिक्षुओं की बाध्यताएं 10
13. शिक्षुओं को संदाय 10
14. शिक्ष्ुओं का स्वास्थ्य, क्षेम और कल्याण 10
15. काम के घंटे, अतिकाल, छुट्टी और अवकाश-दिन 10
16. क्षति के प्रतिकर के लिए नियोजक का दायित्व 11
17. आचरण और अनुशासन 11
18. शिक्ष्ु प्रशिक्षणार्थी हैं, न कि कर्मकार 11
19. अभिलेख और विवरणियां 11

20. विवादों का निपटारा 11
21. परीक्षण का किया जाना और प्रमाणपत्र का अनुदान तथा प्रशिक्षण की समाप्ति 11
22. नियोजन की प्रस्थापना और प्रतिग्रहण 12

अध्याय 3

प्राधिकारी

23. प्राधिकारी 12
24. परिषदों का गठन 13
25. कार्यों और कार्यवाहियों को रिक्तियां अविधिमान्य नहीं बनाएंगी 14
26. शिक्षुता सलाहकार 14
27. उप और सहायक शिक्षुता सलाहकार 14
28. शिक्षुता सलाहकारों का लोक सेवक होना 14
29. प्रवेश, निरीक्षण आदि की शक्तियां 14
30. अपराध और शास्तियां 15
31. जहां कि कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबन्धित नहीं है, वहां शास्ति 16
32. कम्पनियों द्वारा अपराध 16
33. अपराधों का संज्ञान 16
34. शक्तियों का प्रत्यायोजन 16
35. निर्देशों का अर्थान्वयन 17
36. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण 17
37. नियम बनाने की शक्ति 17
38. [निरसित] 17
अनुसूची 18

(1961 का अधिनियम संख्यांक 52)

[12 दिसम्बर, 1961]

1*** शिक्षुओं के प्रशिक्षण के विनियमन और नियंत्रण का
तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ः-

अध्याय **1**

प्रारम्भिक

1. (1) यह अधिनियम शिक्षु अधिनियम, 1961 कहा जा सकेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है । [2]*** ।

(3) यह उस तारीख[3] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे; और विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

(4) इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे-

(क) कोई क्षेत्र या किसी क्षेत्र में का कोई उद्योग, जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र या उद्योग को ऐसे क्षेत्र या उद्योग के रूप में विनिर्दिष्ट न करे जिसको उक्त उपबन्ध उस तारीख से, जो उस अधिसूचना में वर्णित हो, लागू होंगे ;

4* * * * * *

[5][(ग) शिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए ऐसी कोई विशेष शिक्षुता स्कीम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएं ।]

2. इस अधिनियम मे, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेधिक्षत न हो,- परिभाषाएं ।

[6][(क) "अखिल भारतीय परिषद्" से भारत सरकार के पूर्ववर्ती शिक्षा मंत्रालय के तारीख 30 नवम्बर, 1945 के संकल्प संख्या एफ० 16-I०/44-ई० III द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;]

[7][(कक) "शिक्षु" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी शिक्षुता संविदा के अनुसरण में [8]*** शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है ;

1. 1973 के अधिनियम सं**0 27** की धारा **2** द्वारा "व्यवसायों में" शब्दों का लोप किया गया ।

2. 1968 के अधिनियम सं**0 25** की धारा **2** और अनुसूची द्वारा (जब अधिसूचित किया जाए) लोप किया गया ।

3. 1 मार्च, **1962,** देखिए अधिसूचना सं**0** साधारण कानूनी नियम **246,** तारीख **12** फरवरी, **1962,** भारत का राजपत्र, **(**अंग्रेजी**) 1962,** भाग **2,**अनुभाग **3(i),**पृष्ठ **218**।

4. 1973 के अधिनियम सं**0 27** की धारा **3** द्वारा लोप किया गया ।

5. 1973 के अधिनियम सं**0 27** की धारा **3** द्वारा मूल खण्ड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6. 1973 के अधिनियम सं**0 27** की धारा **4** द्वारा अन्तःस्थापित ।

7. 1973 के अधिनियम सं**0 27** की धारा **4** द्वारा पुनःअक्षरांकित किया गया ।

8. 1973 के अधिनियम सं**0 27** की धारा **4** द्वारा लोप किया गया ।

[1][(ककक) "शिक्षुता प्रशिक्षण" से किसी शिक्षुता संविदा के अनुसरण में और विहित निबंधनों और शर्तों के अधीन, जो विभिन्न प्रवर्गों के शिक्षुओं के लिए विभिन्न हो सकेंगी, किसी उद्योग या स्थापन में पूरा किया गया प्रशिक्षण क्रम अभिप्रेत है;]

(ख) "शिक्षुता सलाहकार" से धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया केन्द्रीय शिक्षुता सलाकार या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किया गया राज्य शिक्षुता सलाहकार अभिप्रेत है ;

(ग) "शिक्षुता परिषद्" से धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् या राज्य शिक्षुता परिषद् अभिप्रत है ;

(घ) "समुचित सरकार" से-

(1) निम्नलिखित के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है-

(क) केन्द्रीय शिक्षुता परिषद्, अथवा

[1][(कक) स्नातक या तकनीकी शिक्षुओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण, अथवा]

(ख) किसी रेल, महापत्तन, खान या तेल-क्षेत्र का कोई स्थापन, अथवा

(ग) कोई स्थापन जो निम्नलिखित के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबन्ध में है-

(i) केन्दीय सरकार या केन्द्रीय सरकार का कोई विभाग;

(ii) कोई कंपनी जिसकी अंशपूंजी का 51 प्रतिशत से अन्यून केन्द्रीय सरकार द्वारा या भागतः उस सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है;

(iii) केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित किया गया कोई निगम (जिसके अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी आती है) जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध में है।

(2) निम्नलिखित के सम्बन्ध में राज्य सरकार अभिप्रेत है-

(क) राज्य शिक्षुता परिषद्, अथवा

(ख) इस खंड के उपखण्ड (1) में विनिर्दिष्ट स्थापनों से भिन्न काई स्थापन;

[1][(घघ) "राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड" से राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड अभिप्रेत है ;]

(ङ) "अभिहित व्यवसाय" से [2][वह कोई व्यवसाय या उपजीविका अथवा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी का कोई विषय क्षेत्र अभिप्रेत है] जिसे केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श के पश्चात्, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिहित व्यवसाय के रूप में विनिर्दिष्ट करें;

(च) "नियोजक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्थापन में परिश्रमिक पर कोई काम करने के लिए एक या अधिक अन्य व्यक्तियों को नियोजित करता है और इसके अन्र्तगत कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जिसे ऐसे स्थापन में के कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण न्यस्त किया गया हो;

---

1. 1973 के अधिनियम सं**0 27** की धारा **4** द्वारा अन्तःस्थापित ।

2. 1973 के अधिनियम सं**0 27** की धारा **4** द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(छ) "स्थापन" के अन्तगर्त ऐसा कोई स्थापन आता है जहां कोई उद्योग चलाया जाता है;

(ज) "प्राइवेट सैक्टर में का स्थापन" से वह स्थापन अभिप्रेत है जो पब्लिक सैक्टर में का स्थापन नहीं है;

(झ) "पब्लिक सैक्टर में का स्थापन" से वह स्थापन अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के स्वामित्व नियंत्रण या प्रबंध में है-

(1) सरकार या सरकार का कोई विभाग;

1956 का 1 (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कंपनी ;

(3) किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित किया गया कोई निगम (जिसके अन्तर्गत सहकारी सोसायटी आती है), जो सरकार के स्वामित्व नियंत्रण या प्रंबध में है;

(4) कोई स्थानीय प्राधिकारी;

[1] [(अ) "स्नातक या तकनीकी शिक्षु" से ऐसा शिक्षु अभिप्रेत है जिसके पास सरकार से मान्यताप्राप्त किसी संस्था द्वारा प्रदान की गई इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की उपाधि या डिप्लोमा या समतुल्य अर्हता है या जो उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और जो इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी के किसी ऐसे विषयक्षेत्र में शिक्षुता प्रशिक्षण प्रापत करता है जो विहित किया जाए;

(ट) "उद्योग" से ऐसा उद्योग या कारोबार अभिप्रेत है जिसमें कोई व्यवसाय, उपजीविका अथवा इंजीनियरिंग या प्रैद्योगिकी का कोई विषय-क्षेत्र अभिहित व्यवसाय के रूप में विनिर्दिष्ट हो;]

(ठ) "राष्ट्रीय परिषद्" से तारीख 12 अगसत 1956 के भारत सरकार के श्रम मंत्रालय (पुनर्वास और नियोजन महानिदेशक का कार्यालय) के संकल्प संख्या टी० आर० /ई० पी०-24/56 द्वारा स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् अभिप्रेत है;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

1860 का 21 [2][(डड) "प्रादेशिक बोर्ड" से ऐसा शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड अभिप्रेत है जो मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास या कानपूर में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;]

(ढ) "राज्य" के अन्तर्गत संघ राज्यक्षेत्र आता है;

(ण) "राज्य परिषद्" से राज्य सरकार द्वारा स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण की परिषद् अभिप्रेत है;

(त) "राज्य सरकार" से संघ राज्यक्षेत्र के संबध में, उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

[2][(थ) "व्यवसाय शिक्षु" से कोई शिक्षु अभिप्रेत है जो किसी ऐसे व्यवसाय या ऐसी उपजीविका में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करता है जो विहित की जाए ।]

---

1. 1973 के अधिनियम सं० 27 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. 1973 के अधिनियम 27 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित ।

अध्याय 2
शिक्षु और उनका प्रशिक्षण

3. कोई व्यक्ति किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शिक्षु के रूप में तब के सिवाय रखा जाएगा जब कि वह- शिक्षु के रूप में रखे जाने के लिए अर्हताएं।

(क) चौदह वर्ष से कम आयु का न हो; तथा

(ख) शिक्षा और शारीरिक योग्यता के ऐसे स्तरमानों की तुष्टि कर दे जो विहित किए जाएं।

परन्तु विभिन्न अभिहित व्यवसायों में शिक्षुता प्रशिक्षण के संबंध में [1][और विभिन्न प्रवर्गों के शिक्षुओं के लिए] विभिन्न स्तरमान विहित किए जा सकेंगे ।

[2][3क (1) प्रत्येक अभिहित व्यवसाय में नियोजक द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशिक्षण स्थान आरक्षित किए जांएगे । अभिहित व्यवसायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले प्रशिक्षण स्थानों की संख्या इतनी होगी जितनी

सम्बद्ध राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए विहित की जाए। | जनजातियों के लिए प्रशिक्षण स्थानों का आरक्षण।

स्पष्टीकरण - इस धारा में "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" पदों के वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) में हैं।]

[3][4.(1) कोई भी व्यक्ति किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शिक्षु के रूप में तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक उसने या यदि वह अवयस्क हो तो उसके संरक्षक ने नियोजक से कोई शिक्षुता-संविदा न कर ली हो। शिक्षु-संविदा।

(2) शिक्षुता प्रशिक्षण उस तारीख को प्रारम्भ हुआ समझा जाएगा जिस तारीख को उपधारा (1) के अधीन शिक्षुता-संविदा की गई है।

(3) हर शिक्षुता-संविदा में ऐसे निबंधन और शर्तें हो सकती हैं जिन पर संविदा के पक्षकार सहमत हों :

परन्तु ऐसा कोई भी निबंधन या शर्त इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध से असंगत नहीं होगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन की गई हर शिक्षुता-संविदा नियोजन द्वारा इतनी अवधि के भीतर जितनी विहित की जाए शिक्षुता सलाहकार के पास रजिस्ट्रीकरण के लिए भेजी जाएगी।

(5) शिक्षुता सलाहाकार किसी शिक्षुता-संविदा को तब तक रजिस्टर नहीं करेगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता कि संविदा में शिक्षु के रूप में उल्लीखित व्यक्ति संविदा में विनिर्दिष्ट अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शिक्षु के रूप में रखे जाने के लिए इस अधिनियम के अधिन अर्हित है।

---

1. **1973** के अधिनियम सं**0 27** की धारा **5** द्वारा जोड़ा गया।
2. **1973** के अधिनियम सं**0 27** की धारा **6** द्वारा अन्तःस्थापित।
3. **1973** के अधिनियम सं**0 27** की धारा **7** द्वारा **4** के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(6) जब केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श के पश्चात् किसी प्रवर्ग के शिक्षुओं की जो ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों शिक्षुता प्रशिक्षण के निबंधनों और शर्तों में परिवर्तन करने वाला कोई नियम बनाए तब हर शिक्षुता-संविदा के, जो उस प्रवर्ग के शिक्षुओं से संबंधित हों और जो ऐसे नियम बनाए जाने से ठीक पूर्व विद्यमान हो, निबंधन और शर्तें तदनुसार परिवर्तित हुई समझी जाएंगी ।]

शिक्षुता-संविदा का नवीयन ।

5. जहां कि कोई नियोजक जिसके साथ शिक्षुता-संविदा की गई हो, उस संविदा के अधीन की अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए किसी कारणवश असमर्थ हो और शिक्षुता सलाहकार के अनुमोदन से नियोजक, शिक्षु या उसके संरक्षक, तथा किसी अन्य नियोजक के बीच यह करार हो जाए कि शिक्षु शिक्षुता-प्रशिक्षण की कालावधि के अनवसित भाग के लिए उस अन्य नियोजक के अधीन शिक्षु रूप में रखा जाएगा, वहां वह करार, शिक्षुता सलाहकार के यहां उसका रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर, उस शिक्षु या उसके संरक्षक तथा उस अन्य नियोजक के बीच शिक्षुता-संविदा समझा जाएगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख को और से प्रथम नियोजक से की गई शिक्षुता-संविदा पर्यवसित हो जाएगी और उस संविदा के अधीन की कोई भी बाध्यता संविदा के किसी पक्षकार की प्रेरणा पर उसके दूसरे पक्षकार के विरूद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगी ।

शिक्षुता-प्रशिक्षण की कालावधि ।

6. शिक्षुता-प्रशिक्षण की कालावधि, जो शिक्षुता-संविदा में विनिर्दिष्ट की जाएगी, निम्नलिखित होगी --

(क) ऐसे [1][व्यवसाय शिक्षुओ] की दशा में जो राष्ट्रीय परिषद् से मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय या अन्य संस्था से संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त करके उस परिषद् द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण में उत्तीर्ण हो चुके हों, शिक्षुता-प्रशिक्षण की कालावधि उतनी होगी जितनी [1][उस परिषद् या उस परिषद् से मान्यताप्राप्त किसी संस्था] द्वारा अवधारित की जाए ;

[2][(कक) ऐसे व्यवसाय शिक्षुओं की दशा में जो राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड से या किसी अन्य प्राधिकरण से, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर, सम्बद्ध या मान्यातात्प्राप्त किसी विद्यालय या अन्य संस्था में संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त करके उस बोर्ड या राज्य परिषद् या प्राधिकरण द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण में उत्तीर्ण हो चुके हों, शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि उतनी होगी जितनी विहित की जाए];

(ख) अन्य [1][व्यवसाय शिक्षुओं] की दशा में शिक्षुता-प्रशिक्षण की कालावधि उतनी होगी जितनी विहित की जाए;

[2][(ग) स्नातक या तकनीकी शिक्षुओं की दशा में शिक्षुता-प्रशिक्षण की अवधि उतनी होगी जितनी विहित की जाए ।]

शिक्षुता - संविदा का पर्यवसान।

7. (1) शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि के अवसान पर शिक्षुता-संविदा पर्यवसित हो जाएगी ।

(2) शिक्षुता-संविदा का कोई पक्षकार शिक्षुता सलाहकार से उस संविदा के पर्यवसान के लिए आवेदन कर सकेगा और जब ऐसा आवेदन किया जाए तो उसकी एक प्रतिलिपि संविदा के दूसरे पक्षकार को डाक से भेजेगा ।

---

1. **1973** के अधिनियम सं**0** **27** की धारा **8** द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. **1973** के अधिनियम सं**0** **27** की धारा **8** द्वारा अन्तःस्थापित ।

(3) आवेदन की अंतर्वस्तु और दूसरे पक्षकार द्वारा फाइल किए गए आक्षेपों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् शिक्षुता सलाहकार, यदि उसका समाधान हो जाए कि संविदा के पक्षकार या उनमें से कोई संविदा के निबन्धनों और शर्तों का पालन करने में असफल रहे हैं या रहा है और यह की पक्षकारों के या उनमें से किसी के हित में यह वांछनीय है की संविदा को पर्यवसित किया जाए तो, लिखित आदेश द्वारा संविदा को पर्यवसित कर सकेगा :

परन्तु जहां की संविदा -

(क) संविदा के निबन्धनों और शर्तों का पालन करने में नियोजक की असफलता के कारण पर्यवसित की जाए वहां नियोजक शिक्षुओं को ऐसा प्रतिकार देगा जो विहित किया जाए;

(ख) शिक्षु की ऐसी असफलता के कारण पर्यवसित की जाए वहां शिक्षु या उसका संरक्षक प्रशिक्षण के खर्च के रूप में नियोजक को उतनी रकम वापस करेगा जितनी शिक्षुता सलाहकार द्वारा अवधारित की जाए ।

अभिहित व्यवसाय के लिए शिक्षुओं की संख्या ।

8. 1[(1) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, हर अभिहित व्यवसाय के लिए उस व्यवसाय के अकुशल कर्मकारों से भिन्न कर्मकारों से व्यवसाय शिक्षुओं का अनुपात, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, अवधारित करेगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी नियोजक को इस उपधारा के अधीन अवधारित अनुपात से अधिक संख्या में व्यवसाय-शिक्षुं रखने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुपात अवधारित करने में केन्द्रीय सरकार संबंधित अभिहित व्यवसाय में इस अधिनियम के अधीन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए उपलभ्य सुविधाओं का तथा उन सुविधाओ।ं का भी, यदि कोई हैं, ध्यान रखेगी जिन्हें किसी नियोजक को स्नातक या तकनीकी शिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए ऐसी किसी सूचना के अनुसरण में उपलब्ध करना पड़े, जो उपधारा (3क) के अधीन केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो उस उपधारा में निर्दिष्ट है, उस नियोजक को दी गई हो ।

(3) शिक्षुता सलाहकार, लिखित सूचना द्वारा नियोजक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी अभिहित व्यवसाय के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित अनुपात के भीतर इतने व्यवसाय शिक्षुओं को उस व्यवसाय में शिक्षुता-प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपने स्थापन में रखे जितने ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, और नियोजक ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा ः

परन्तु इस उपधारा के अधीन अपेक्षा करते समय शिक्षुता सलाहकार संबंधित स्थापन में वस्तुतः उपलभ्य सुविधाओं का ध्यान रखेगा ।

(3 क) केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार या केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जो पंक्ति में सहायक शिक्षुता सलाहकार से कम न हो -

(i) किसी अभिहित व्यवसाय में नियोजित प्रबन्धकार व्यक्तियों की (जिसके अन्तर्गत तकनीकी और पर्यवेक्षी व्यक्ति भी हैं) संख्या का ;

(ii) स्थापन में रखे गये प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का ;

(iii) किसी अभिहित व्यवसाय में उपलक्ष्य समग्र प्रशिक्षण सुविधाओं का ; तथा

(iv) अन्य ऐसी बातों का, जिन्हें वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे;

ध्यान रखते हुए किसी नियोजक से, लिखित सूचना द्वारा, यह अपेक्षा करेगा की वह अपने स्थापन में ऐसे व्यवसाय में उतने स्नातकों या तकनीकी शिक्षुओं को प्रशिक्षण दे जितने ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं और नियोजक ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा ।

---

1. 1973 के अधिनियम सं**0 27** की धारा **9** द्वारा प्रतिस्थापित ।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा में "प्रबंध प्रशिक्षणार्थी" पद से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे नियोजक के स्थापन में प्रशिक्षणक्रम (जो इस अधिनियम के अधीन शिक्षुता प्रशिक्षण नहीं है) पूरा करने के लिए नियोजक द्वारा इस शर्त के अधीन रखा गया है कि ऐसी प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक पूरा करने पर उसे नियोजक द्वारा नियमित आधार पर नियोजित कर लिया जाएगा ।]

(4) कोई नियोजक अपने अधीन के शिक्षुओं को अपने तथा एक दूसरे के स्थापनों में भेजकर उनके लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण उपबंधित करने के प्रयोजन के लिए आपस में सम्मिलित हो सकेंगे ।

(5) जहां की समुचित सरकार की यह राय हो की लोकहित को ध्यान में रखते हुए यह है की ऐसी संख्या में शिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित अनुपात से अधिक है [1][या उपधारा 3क के अधीन जारी की गई किसी सूचना में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है] वहां समुचित सरकार नियोजकों से यह अपेक्षा कर सकेगी की वह शिक्षुओं की अतिरिक्त संख्या को प्रशिक्षित करे ।

(6) हर नियोजक, जिससे यथापूर्वक्त अपेक्षा की जाए, ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा, यदि संयुक्त सरकार ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं, और ऐसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता जैसी की शिक्षुता सलाहकार द्वारा शिक्षुओं की अतिरिक्त संख्या के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक समझी जाएं, उपलब्ध कर दे ।

(7) कोई भी नियोजक जो उपधारा (6) के अधीन के शिक्षुता सलाहकार के विनिश्चय से संतुष्ट न हो, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् को निर्देश कर सकेगा और वह निर्देश उस परिषद् द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई उसकी समिति द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उस समिति का विनिश्चय अंतिम होगा ।

शिक्षुओं का व्यावहारिक एवं बुनियादी प्रशिक्षण ।

9. (1) हर नियोजक शिक्षुता सलाहकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार अपने द्वारा रखे गए हर शिक्षुकों व्यावहारिक प्रशिक्षण क्रम का अनुसरण कराने के लिए उपयुक्त इंतजाम अपनी कर्मशाला में करेगा ।

(2) [2][केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार को या केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को, जो पंक्ति में सहायक शिक्षुता सलाहकार से कम न हो] ऐसे हर एक शिक्षु तक पहुंच की सब युक्तियुक्त सुविधाएं दी

जाएंगी जिससे की वह उसके काम का परीक्षण कर सके और यह सुनिश्चित कर सके की व्यावहारिक प्रशिक्षण अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार दिया जा रहा है ः

परन्तु जिन स्थापनों के संबंध में समुचित सरकार राज्य सरकार है उनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षुओं के बारे में ऐसी सुविधाएं [2][राज्य शिक्षुता सलाहकार को या राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को, जो पंक्ति में सहायक शिक्षुता सलाहकार से कम न हो] भी दी जाएगी ।

[2][(3) वे व्यवसाय-शिक्षु जिन्होंने राष्ट्रीय परिषद् से मान्यताप्राप्त विद्यालय या अन्य संस्था में अथवा राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण से, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, संबद्ध या मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्था में संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कर्मशाला में प्रवेश के पूर्व, एक बुनियादी प्रशिक्षणक्रम पूरा करेंगे।]

---

1. 1973 के अधिनियम सं**0 27** की धारा **9** द्वारा अन्तःस्थापित ।

2. 1973 के अधिनियम सं**0 27** की धारा **10** द्वारा प्रतिस्थापित ।

(4) जहां कि कोई नियोजक अपने स्थापन में पांच सौ या अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है वहां 1[व्यवसाय शिक्षुओं] को बुनियादी प्रशिक्षण या तो कर्मशाला-भवन में अलग-अलग भागों में दिया जाएगा या एक अलग भवन में दिया जाएगा जो स्वयं नियोजक द्वारा स्थापित किया जाएगा; किन्तु समुचित सरकार ऐसे अलग भवन की भूमि, सन्निर्माण और उपस्कर के खर्च को पूरा करने के लिए नियोजक को सरल निबन्धनों पर और सरल किस्तों में प्रतिसंदेय उधार दे सकेगी।

[2][(4क) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी ऐसे स्थापन में, जिसमें पांच सौ या अधिक कर्मकार नियोजित है किसी समय प्रशिक्षत किए जाने वाले शिक्षुओं की संख्या बारह से कम हो तो ऐसे स्थापन के संबंध में नियोजक ऐसे सब शिक्षुओं को या उनमें से किसी को बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र में या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में, जो दोनों ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे हों, किसी अभिहित व्यवसाय में बुनियादी प्रशिक्षण के लिए प्रति नियुक्त कर सकता है।

(4ख) जहां कोई नियोजक उपधारा (4क) के अधीन किसी शिक्षु को प्रतिनियुक्त

करता है, वहां ऐसा नियोजक सरकार को ऐसे प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा किए गए व्यय का ऐसी दर से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करेगा।]

(5) जहां की कोई नियोजक अपने स्थापन में पांच सौ से कम कर्मकार नियोजित करता है, वहां [1][व्यवसाय शिक्षुओ।ं] को बुनियादी प्रशिक्षण सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण संस्थाओं में दिया जाएगा।

(6) ऐसी किसी प्रशिक्षण संस्था में, जो उस परिक्षेत्र के सर्वाधिक उपयुक्त स्थापन के परिसर में या किसी अन्य सुविधापूर्ण स्थान में अवस्थित होगा, बुनियादी प्रशिक्षण दो या अधिक नियोजकों द्वारा रखे गए [1][व्यवसाय शिक्षुओ।ं] को दिया जा सकेगा।

(7) [1][किसी स्नातक या तकनीकी शिक्षु से भिन्न शिक्षु की दशा में व्यावहारिक प्रशिक्षण का, जिसके अन्तर्गत बुनियादी प्रशिक्षण ली है, पाठ्य-विवरण] और उसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपस्कर ऐसे होंगे जैसे केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के [परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं।

[2][(7क) स्नातक या तकनीकी शिक्षुओं की दशा में शिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम और इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी के किसी विषय क्षेत्र में ऐसे प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित सुविधाएभं ऐसी होंगी जो केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए।]

(8) (क) धारा [6][के खण्ड (क) और (कक) में निर्दिष्ट व्यवसाय शिक्षुओं से भिन्न व्यवसाय शिक्षुओं को दिए गए व्यावहारिक प्रशिक्षण के संबंध में, जिसके अंतर्गत बुनियादी प्रशिक्षण भी है,] नियोजक द्वारा उपगत किए गए आवर्ती खर्चे [1][जिनके अंतर्गत वृत्तिकाओं का खर्च आता है]-

(i) यदि ऐसा नियोजक पांच सौ या अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है तो नियोजक द्वारा वहन किए जाएंगे,

(ii) यदि ऐसा नियोजक पांच सौ से कम कर्मकारों को नियोजित करता है तो ऐसी सीमा तक, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए, नियोजक और सरकार द्वारा समान अंशों में वहन किए जाएंगे और उस सीमा के आगे केवल नियोजक द्वारा वहन किए जाएंगे ; तथा

---

1. 1973 के अधिनियम सं. **27** की धारा **10** द्वारा प्रतिस्थापित।

2. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 10 द्वारा अन्तःस्थापित।

(ख) धारा 6[1][के खण्ड (क) और (कक) में निर्दिष्ट व्यवसाय शिक्षुओं को दिए गए व्यावहारिक प्रशिक्षण के संबंध में, जिसके अन्तर्गत बुनियादी प्रशिक्षण भी है,] नियोजक द्वारा उपगत किए गए आवर्ती खर्चे (जिनके अन्तर्गत वृत्तिकाओं का खर्च आता है), यदि कोई हों, हर मामले में नियोजक द्वारा वहन किए जांएगे ।

[2][(ग) स्नातक या तकनीकी शिक्षुओं को दिए गए व्यावहारिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में नियोजक द्वारा किए गए आवर्ती खर्चे (जिनके अन्तर्गत वृत्तिकाओं का खर्च नहीं है) नियोजक द्वारा उठाए जाएंगे और वृत्तिकाओं का खर्च, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत सीमा तक, केन्द्रीय सरकार और नियोजक द्वारा समान भागों में, और उक्त सीमा से आगे केवल नियोजक द्वारा उठाया जाएगा ।]

शिक्षुओं का संबंधित शिक्षण।

10. (1) [3][ऐसे व्यवसाय शिक्षु को,] जो किसी स्थापन में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, इस दृष्टि से कि उसे ऐसा सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाए जैसा कि कुशल शिल्पकार के रूप में पूर्णतः अर्हित होने के लिए [3][उस व्यवसाय शिक्षु को,] व्यावहारिक प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान संबंधित शिक्षण के केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक पाठ्यक्रम का (जो वह होगा जो उस व्यवसाय के लिए समुचित हो), अनुसरण कराया जाएगा ।

(2) संबंधित शिक्षण समुचित सरकार के खर्च पर दिया जाएगा; किन्तु नियोजक अपने से ऐसी अपेक्षा की जाने पर, ऐसा शिक्षण देने के लिए सब सुविधाएं देगा ।

(3) संबंधित शिक्षण की कक्षाओं में हाजिर होने में [3][व्यवसाय शिक्षु] द्वारा व्यतीत किया गया समय उसके काम की उस कालावधि का भाग माना जाएगा जिसके लिए उसे संदाय होता है।

[3][(4) उन व्यवसाय शिक्षुओं की दशा में जो संस्थागत प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात्, राष्ट्रीय परिषद् द्वारा संचालित व्यवसाय परीक्षण में उत्तीर्ण हुए हैं या जो राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड अथवा अन्य किसी ऐसे प्राधिकरण द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, संचालित व्यवसाय प्रशिक्षण और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, सम्बन्धित शिक्षण ऐसे घटाए गए या परिवर्तित मान पर दिया जा सकेगा, जो विहित किया जाए ।

(5) जहां कोई व्यक्ति, किसी तकनीकी संस्था में अपने पाठ्यक्रम के दौरान, स्नातक या तकनीकी शिक्षु बन जाता है और अपने शिक्षुता प्रशिक्षण के दौरान उसे सम्बन्धित शिक्षण लेना है, वहां नियोजक ऐसे व्यक्ति को उस संस्था में सम्बन्धित शिक्षण लेने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण से ऐसी कालावधि के लिए छोड़ देगा जो केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा या केन्द्रीय शिक्षुता सलाहाकार द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो पंक्ति में सहायक शिक्षुता सलाहकार से कम न हो, विनिर्दिष्ट की जाए।]

नियोजकों की बाध्यताएं

11. इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि हर नियोजक की शिक्षु के संबंध में निम्नलिखित बाध्यताएं हांगी, अर्थात -

(क) शिक्षु के लिए उसके व्यवसाय में इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रशिक्षण का उपबंध करना;

(ख) यदि नियोजक स्वयं उस व्यवसाय में अर्हित नहीं है तो यह सुनिश्चित करना कि [4][ऐसा व्यक्ति जिसके पास विहित अर्हताएं हों] शिक्षु के प्रशिक्षण का भरसाधक बनाया जाए; तथा

(ग) शिक्षुता संविदा के अधीन की अपनी बाध्यताओं को निभाना ।

---

1. 1973 के अधिनियम सं० 27 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित

2. 1973 के अधिनियम सं० 27 की धारा 10 द्वारा अन्तःस्थापित

3. 1973 के अधिनियम सं० 27 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित

4. 1973 के अधिनियम सं० 27 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

शिक्षुओं की बाध्यताएं।

12. [1][(1)] शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे [2][हर व्यवसाय शिक्षु] की निम्नलिखित बाध्यताएं होंगी, अर्थात् :-

(क) अपना व्यवसाय निष्ठापूर्वक और तत्परता से सीखना, तथा प्रशिक्षण की कालावधि के अवसान के पूर्व अपने को कुशल शिल्पकार के रूप में अर्हित बनाने का प्रयास करना;

(ख) व्यावहारिक और शैक्षणिक कक्षाओं में नियमित रूप से हाजिर होना;

(ग) अपने नियोजक के और स्थापन में के अपने वरिष्ठों के सब विधिपूर्ण आदेशों का पालन करना; तथा

(घ) शिक्षुता-संविदा के अधीन की अपनी बाध्यताओं को निभाना ।

[3][(2) शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हर स्नातक या तकनीकी शिक्षु की निम्नलिखित बाध्यताएं होंगी, अर्थात :-

(क) अपने प्रशिक्षण स्थान पर इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिक के अपने विषय-क्षेत्र की निष्ठापूर्वक और तत्परता से सीखना;

(ख) व्यावहारिक और शैक्षणिक कक्षाओं में नियमित रूप से हाजिर होना;

(ग) अपने नियोजक के और स्थापन में अपने वरिष्ठों के सब विधिपूर्ण आदेशों का पालन करना;

(घ) शिक्षुता-संविदा के अधीन अपनी बाध्याताओं को निभाना जिनके अन्तर्गत अपने कार्य के ऐसे अभिलेख रखना भी है, जो विहित किए जाएं।]

13. (1) नियोजक शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान हर शिक्षु को [4][विहित न्यूनतम दर से या ऐसी दर से, जो नियोजक द्वारा ऐसे प्रवर्ग के शिक्षुओं के लिए, जिसके अधीन शिक्षु आता है, 1970 की पहली जनवरी की संदत्त की जा रही थीं, इनमें से जो भी अधिक हो उससे अन्यून दर से] ऐसी वृत्तिका का संदाय करेगा जैसी शिक्षुता-संविदा में विनिर्दिष्ट हो और ऐसे विनिर्दिष्ट वृत्तिका ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन संदत्त की जाएगी जैसी विहित की जाएं। — शिक्षुओं की संदाय।

[4][(2) शिक्षु को उसके नियोजन द्वारा न तो किसी मात्रानुपाती काम के आधार पर संदाय किया जाएगा और न किसी उत्पादन बोनस या अन्य प्रोत्साहन स्कीम में भाग लेने की उससे अपेक्षा की जाएगी।]

14. जहां कि कोई शिक्षु किसी कारखाने में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं यहां कारखाना अधिनियम,1948 के अध्यायों 3, 4 और 5 के उपबन्ध शिक्षुओं के स्वास्थ्य, क्षेम और कल्याण के सम्बन्ध में ऐसे लागू होंगे मानों वे उस अधिनियम के अर्थ के अंदर कर्मकार हों और जब कि कोई शिक्षु किसी खान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों तब खान अधिनियम, 1952 के अध्याय 5 के उपबन्ध शिक्षुओं के स्वास्थ्य और क्षेम के संबन्ध में ऐसे लागू होंगे मानो वे खान में नियोजित व्यक्ति हों। — शिक्षुओं का स्वास्थ्य, क्षेम और कल्याण।

1948 का **63**

1952 का **35**

15. (1) जब कोई शिक्षु किसी कर्मशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है तो उसके साप्ताहिक और दैनिक काम के घंटे ऐसे होंगे जैसे विहित किए जाएं। — काम के घंटे, अतिकाल, छुट्टी और अवकाश-दिन।

---

1. 1973 के अधिनियम सं**0 27** की धारा **13** द्वारा पुनःसंख्यांकित ।

2. 1973 के अधिनियम सं**0 27** की धारा **13** द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. 1973 के अधिनियम सं**0 27** की धारा **13** द्वारा अन्तःस्थापित ।

4. 1973 के अधिनियम सं**0 27** की धारा **14** द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) शिक्षुता सलाहकार के अनुमोदन के बिना अतिकालिक काम किसी भी शिक्षु से न तो अपेक्षित किया जाएगा और न उसे करने दिया जाएगा और शिक्षुता सलाहकार ऐसा अनुमोदन तब तक अनुदत्त न करेगा जब तक उसका यह समाधान न हो जाए कि ऐसा अतिकालिक काम शिक्षु के प्रशिक्षण के हित में है या लोक हित में है ।

(3) शिक्षु ऐसी छुट्टी का जैसी विहित की जाए और ऐसे अवकाश दिनों का जो उस स्थापन में जिसमें वह काम कर रहा है मनाए जाते हैं, हकदार होगा ।

क्षति के प्रतिकर के लिए नियोजक का दायित्व।

1923 का **8**

16. यदि शिक्षु के रूप में उसके प्रशिक्षण से और उसके अनुक्रम में उद्भूत होने वाली किसी, दुर्घटना से किसी शिक्षु को कोई शारीरिक क्षति कारित हो जाती है तो उसका नियोजक ऐसा प्रतिकर देने का दायी होगा जिसका अवधारण और संदाय यावत्शक्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरें के अध्यधीन रहते हुए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ।

आचरण और अनूशासन

17. आचरण ओा र अनुशासन के सब मामलों में शिक्षु उन नियमों और विनियमों से शासित होगा जो स्थापन में जिसमें शिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो [1][तत्समान प्रवर्ग के कर्मचारियों को लागू होते हैं/

शिक्षु प्रशिक्षणार्थी है**,** न कि कर्मकार ।

18. उसके सिवाय जैसा कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित है-

(क) किसी स्थापन में किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा शिक्षु प्रशिक्षणार्थी होगा, न कि कर्मकार; तथा

(ख) श्रम विषयक किसी विधि के उपबन्ध ऐसे शिक्षु को या के संबंध में लागू न होंगे।

अभिलख और विवरणियां।

19. (1) हर नियोजक हर एक ऐसे शिक्षु के जो उसके स्थापन से शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है प्रशिक्षण की प्रगति के अभिलेख ऐसे प्ररूप में रखेगा जैसा विहित किया जाए।

(2) हर ऐसा नियोजक ऐसी जानकारी और विवरणियां ऐसे प्ररूप में, ऐसे प्राधिकारियों को और ऐसे अंतरालों पर देगा जैसे विहित किए जाएं।

विवादों का

20(1) शिक्षुता-संविदा से पैदा होने वाला नियोजक और शिक्षु के बीच का काई भी

मतभेद या विवाद विनिश्चय के लिए शिक्षुता सलाहकार को निर्देशित किया जाएगा। *निपटारा।*

(2) शिक्षुता सलाहकार के उपधारा (1) के अधीन के विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसा विनिश्चय अपने को संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर शिक्षुता परिषद् को ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध अपील कर सकेगा और ऐसी अपील उस परिषद् की इस प्रयोजनार्थ नियुक्त की गई एक समिति द्वारा सुनी और अवधारित की जाएगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन की समिति का विनिश्चय, और केवल ऐसे विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए शिक्षुता सलाहकार का उपधारा (1) के अधीन का विनिश्चय अंतिम होगा।

परीक्षण का किया जाना और प्रमाणपत्र का अनुदान तथा प्रशिक्षण का समाप्ति।

21. (1) हर [2][व्यवसाय शिक्षु] जिसने प्रशिक्षण की कालावधि पूरी कर ली है उस अभिहित व्यवसाय में जिसमें [2][उसने शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त किया है],उसकी प्रवीणता अवधारित करने के लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा संचालित किए जाने वाले परीक्षण में बैठना।

(2) हर [2][व्यवसाय शिक्षु] को, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट परीक्षण में उतीर्ण होगा, उस व्यवसाय में प्रवीणता का प्रमाणपत्र राष्ट्रीय परिषद् द्वारा अनुदत्त जाएगा।

1973के अधिनियम सं0 27की धारा 15द्वारा प्रतिस्थापित ।

1973के अधिनियम सं0 27की धारा 16द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(3) हर स्नातक या तकनीकी शिक्षु की शिक्षुता प्रशिक्षण में प्रगति समय-समय पर नियोजक द्वारा आंकी जाएगी।

(4) हर स्नातक या तकनीकी शिक्षु को, जिसने अपना शिक्षुता प्रशिक्षण केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् को समाधानप्रद रूप में पूरा कर लिया है, उस परिषद् द्वारा एक प्रवीणता प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।]

नियोजन की प्रस्थापना और प्रतिग्रहण।

2.2 (1) न तो नियोजक इसके लिए बाध्य होगा कि वह उस शिक्षु को, जिसने उसके स्थापन में शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि पूरी कर ली है, कोई नियोजन देने की प्रस्थापना करे, और न शिक्षु इसके लिए बाध्य होगा कि वह उस नियोजक के अधीन नियोजन प्रतिगृहीत करे।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां शिक्षुता-संविदा में यह शर्त हो

कि शिक्षु शिक्षुता प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त कर लेने के पश्चात् नियोजक की सेवा करेगा, वहाँ ऐसे समाप्ति पर नियोजक शिक्षु को समुचित नियोजन देने की प्रस्थापना करने के लिए आबद्ध होगा और शिक्षु ऐसी कालावधि के लिए और ऐसे पारिश्रमिक पर जो संविदा में विनिर्दिष्ट हो उस हैसियत में नियोजक की सेवा करने के लिए आबद्ध होगाः

परन्तु जहां कि ऐसी कालावधि या पारिश्रमिक शिक्षुता सलाहकार की राय में युक्तियुक्त नहीं है, वहां वह ऐसी कालावधि या पारिश्रमिक को ऐसे पुनरीक्षित कर सकेगा कि उसे युक्तियुक्त बना दे और इस प्रकार पुनरीक्षित कालावधि या पारिश्रमिक शिक्षु और नियोजक के बीच में तय पाई गई कालावधि और पारिश्रमिक समझे जाएंगे।

अध्याय 3

प्राधिकारी

23. (1) सरकार के अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित होंगे, प्राधिकारी। अर्थात्---

(क) राष्ट्रीय परिषद्,
(ख) केन्द्रीय शिक्षुता परिषद्,
(ग) राज्य परिषद्,
(घ) राज्य शिक्षुता परिषद्,
[2][(ङ)] अखिल भारतीय परिषद्,
(च) प्रादेशिक बोर्ड,
(छ) राज्य तकनीकी शिक्षा परिषदें, या बोर्ड;]
[3][(ज)] केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार, तथा
[3][(झ)] राज्य शिक्षुता सलाहकार।

(2) हर राज्य परिषद् राष्ट्रीय परिषद् से सबद्ध होगी और हर राज्य शिक्षुता परिषद् केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से संबद्ध होगी।

[2][(2क) हर राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड और हर प्रादेशिक बोर्ड केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से संबद्ध होगा।]

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों में से हर एक इस अधिनियम के अधीन के शिक्षुता प्रशिक्षण के संबंध में उसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या सरकार

द्वारा समनुदिष्ट किए गए कृत्यों का पालन करेगा ः

---

1. 1973 के अधिनियम सं0 27 की धारा 16 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. 1973 के अधिनियम सं0 27 की धारा 17 द्वारा अन्तःस्थापित।

3. 1973 के अधिनियम सं0 27 की धारा 17 द्वारा पुनःअक्षरांकित।

परन्तु राज्य परिषद् राष्ट्रीय परिषद् द्वारा उसे समनुदिष्ट किए गए कृत्यों का भी पालन करेगी और [1][राज्य शिक्षुता परिषद् और राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् द्वारा उसे सौंपे गए कृत्यों का भी पालन करेगा।]

24. (1) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् की स्थापना शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करेगी और राज्य सरकार राज्य शिक्षुता परिषद् की स्थापना शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करेगी । परिषदों का गठन।

(2) केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् [2][एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष]इतनी संख्या के, जितनी केन्द्रीय सरकार समीचीन समझे, अन्य सदस्यों से मिलाकर बनेगी, जो निम्नलिखित कोटियों के व्यक्तियों में से उस सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् ः-

(क) पब्लिक और प्राइवेट सैक्टरों में के स्थापनों में के नियोजकों के प्रतिनिधि,

(ख) केन्द्रीय सरकार के और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि [3]***

(ग) [4][उद्योग, श्रम और तकनीकी शिक्षा] से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति, [4][तथा]

[5][(घ) अखिल भारतीय परिषद् के और प्रादेशिक बोर्डों के प्रतिनिधि।]

(3) उन व्यक्तियों की संख्या जो उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट हर एक कोटी में से केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के सदस्य नियुक्त किए जाने हैं, परिषद् के सदस्य की पदावधी, वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में किया जाना है, और उनके पदों की रिक्तियों को भरने की रिति ऐसी होगी जिसे विहित की जाए ।

(4) राज्य शिक्षुता परिषद् [4][एक अध्यक्ष औा र एक उपाध्यक्ष]और इतनी संख्या के, जितनी राज्य सरकार समीचीन समझे, अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो

निम्नलिखित कोटियों के व्यक्ति में से उस सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात्:--

(क) पब्लिक और प्राइवेट सैक्टरों में के स्थापनों में के नियोजकों के प्रतिनिधि,

(ख) केन्द्रीय सरकार के और उस राज्य सरकार के प्रतिनिधि [3]***

(ग) [4][उद्योग, श्रम और तकनीकी शिक्षा] से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति तथा, [4][तथा]

[5][(घ) राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् के और बोर्ड के प्रतिनिधि।]

(5) उन व्यक्तियों की संख्या जो उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट हर एक कोटि में से राज्य शिक्षुता परिषद् के सदस्य नियुक्त किए जाने है, परिषद् के सदस्यों की पदावधि, वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में किया जाना है और उनके पदों की रिक्तियों को भरने की रीति ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अवधारित करे।

---

1. 1973 के अधिनियम सं० **27** की धारा **17** द्वारा अन्तःस्थापित।

2. 1973 के अधिनियम सं० **27** की धारा **18** द्वारा प्रतिस्थापित।

3. 1973 के अधिनियम सं० **27** की धारा **18** द्वारा "तथा" शब्द का लोप किया गया।

4. 1973 के अधिनियम सं० **27** की धारा **18** द्वारा "उद्योग और श्रम" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5. 1973 के अधिनियम सं० **27** की धारा **18** द्वारा अन्तःस्थापित।

(6) केन्द्रीय शिक्षुता परिषद्द के [1][अध्यक्ष और उपाध्यक्ष] और अन्य सदस्यों को संदत्त की जाने वाली फीसें और भत्ते, यदि कोई हों, ऐसे होंगे जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं तथा राज्य शिक्षुता परिषद् के [1][अध्यक्ष और उपाध्यक्ष] और अन्य सदस्यों को दी जाने वाली फीसें और भत्ते, यदि कोई हों, ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।

25. राष्ट्रीय परिषद् केन्द्रीय शिक्षुता परिषद्, राज्य परिषद् या राज्य शिक्षुता परिषद् द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई कार्यवाही उस परिषद् में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के आधार पर ही प्रश्नगत न की जाएगी। कार्य और कार्यवाहियों की रिक्तियां अविधिमान्य नहीं बनाएंगी।

26. (1) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक उपयुक्त व्यक्ति को केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार नियुक्त करेगी। शिक्षुता सलाहकार।

(2) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक उपयुक्त व्यक्ति को राज्य शिक्षुता सलाहकार नियुक्त करेगी।

(3) केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् का सचिव होगा और राज्य शिक्षुता सलाहकार राज्य शिक्षुता परिषद् का सचिव होगा।

27. (1) सरकार शिक्षुता सलाहकार की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए [2][उपयुक्त व्यक्तियों को अपर शिक्षुता सलाहकार, संयुक्त शिक्षुता सलाहकार, प्रादेशिक शिक्षुता सलाहकार, उप शिक्षुता सलाहकार और सहायक शिक्षुता सलाहकार नियुक्त कर सकेगी।] उप और सहायक शिक्षुता सलाहकार।

(2) [2][हर अपर शिक्षुता सलाहकार, संयुक्त शिक्षुता सलाहकार, प्रादेशिक शिक्षुता सलाहकार, उप शिक्षुता सलाहकार या सहायक शिक्षुता सलाहकार,] शिक्षुता सलाहकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो शिक्षुता सलाहकार द्वारा उसे समनुदिष्ट किए जाएं।

28. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया हर शिक्षुता सलाहकार और 3[हर अपर शिक्षुता सलाहकार, संयुक्त शिक्षुता सलाहकार, प्रादेशिक शिक्षुता सलाहकार, उप शिक्षुता सलाहकार या सहायक शिक्षुता सलाहकार] भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझा जाएगा। शिक्षुता सलाहकारों का लोक सेवक होना।

29. (1) इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए [4][केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार या केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जो पंक्ति में सहायक शिक्षुता सलाहकार से कम न हो--] प्रवेश, निरीक्षण आदि की शक्तियां।

(क) ऐसे सहायकों के साथ, यदि कोई हों, जिन्हें वह ठीक समझे, किसी भी युक्तियुक्त समय पर किसी भी स्थापन में या उसके भाग में प्रवेश कर सकेगा, उसका निरीक्षण कर सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा ;

(ख) उसमें नियोजित किसी भी शिक्षु की परीक्षा कर सकेगा और इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गए कोई रजिस्टर, अभिलेख या अन्य दस्तावेज पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा और स्थल पर ही या अन्यथा किसी ऐसे व्यक्ति का ऐसा कथन ले सकेगा जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे ;

---

1. **1973** के अधिनियम सं**0** **27** की धारा **18** द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. **1973** के अधिनियम सं**0** **27** की धारा **19** द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. **1973** के अधिनियम सं**0** **27** की धारा **20** द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. **1973** के अधिनियम सं**0** **27** की धारा **21** द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ग) ऐसी परीक्षा और जांच कर सकेगा जैसी वह इस बात का अभिनिश्चय करने के लिए ठीक समझे कि क्या इस अधिनियम के तथा तद्धान बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन स्थापन में किया जा रहा है;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसी विहित की जाएंः

परन्तु' [राज्य शिक्षुता सलाहकार या राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति जो पंक्ति में सहायक शिक्षुता सलाहकार से कम न हो] इस उपधारा के खण्डों (क), (ख), (ग) या (घ) में विनिर्दिष्ट शक्तियों में से किसी का प्रयोग ऐसे स्थापनों के संबंध में कर सकेगा जिनके लिए समुचित सरकार राज्य सरकार हैं।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या कोई ऐसा कथन करने के लिए, जिसकी प्रवृत्ति उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध में फंसाने की हो, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन विवश नहीं किया जाएगा।

30. (1) यदि कोई नियोजक --

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को शिक्षु के रूप में रखेगा जो इस प्रकार रखे जाने अपराध और

के लिए अर्हित नहीं है, अथवा शास्तियां।

(ख) शिक्षुता संविदा के निबंधनो और शर्तों का पालन करने में असफल रहेगा, अथवा

(ग) इस अधिनियम के उन उपबंधों का उल्लंघन करेगा जो उन उपबंधों के अधीन उसके द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित शिक्षुओं की संख्या के बारे में हैं,

तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई नियोजक या कोई अन्य व्यक्ति---------

(क) जिससे कोई जानकारी या विवरणी का दिया जाना अपेक्षित हो--

(i) ऐसी जानकारी या विवरणी देने से इंकार करेगा या देने की उपेक्षा करेगा, अथवा

(ii) कोई ऐसी जानकारी या विवरणी देगा या दिलवाएगा जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, अथवा

(iii) उसके द्वारा दी जाने के लिए, अपेक्षित जानकारी की अभिप्राप्ति के लिए आवश्यक किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा या उसका मिथ्या उत्तर देगा, अथवा

(ख) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत कोई प्रवेश, निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा [2][केन्द्रीय या राज्य शिक्षुता सलाहकार को या केन्द्रीय या राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति जो पंक्ति में सहायक शिक्षुता सलाहकार से कम न हो] देने से इन्कार करेगा या देने की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, अथवा

(ग) किसी शिक्षु से अतिकालिक काम करने की अपेक्षा शिक्षुता सलाहकार के अनुमोदन के बिना करेगा, अथवा

---

1. **1973** के अधिनियम सं० **27** की धारा **21** द्वारा "राज्य शिक्षुता सलाहकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. **1973** के अधिनियम सं० **27** की धारा **22** द्वारा शब्द "केन्द्रीय या राज्य शिक्षुता सलाहकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(घ) शिक्षु को किसी ऐसे काम पर नियोजित करेगा जो उसके प्रशिक्षण में संसक्त नहीं है, अथवा

(ङ) शिक्षु की मात्रानुपाती काम के आधार पर कोई संदाय करेगा, अथवा

(च) शिक्षु से उत्पादन-बोनस या प्रोत्साहन स्कीम में भाग लेने की अपेक्षा करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

31. यदि नियोजक या कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का ऐसे उल्लंघन करेगा जिसके लिए धारा 30 में कोई दंड उपबन्धित नहीं है, तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। जहां कि कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं है, वहां शास्ति।

32. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी है तो हर व्यक्ति जो अपराध के किए जाने के समय कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उस कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था और वह कम्पनी भी उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने के दायित्व के अधीन होंगे : कम्पनियों द्वारा अपराध।

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित ऐसे दंड से दंडनीय न बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या ऐसे अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए उसने सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य आफिसर की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी ओर से हुई किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य आफिसर भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने के दायित्व के अधीन होगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए--

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम आता है; तथा

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

33. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन के किसी अपराध का संज्ञान उसके ऐसे परिवाद पर, जो उस तारीख से, जिनको अपराध का किया जाना अभिकथित हो, छह मास के भीतर शिक्षुता सलाहकार द्वारा लिखित रूप में किया गया हो, करने के सिवाय न करेगा। अपराधों का संज्ञान।

34. समुचित सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति ऐसे विषयों के सम्बन्ध में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अध्यधीन जिन्हें निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए यथा निम्नलिखित भी प्रयोक्तव्य होगी-- शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(क) जहां कि समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार हो, वहां केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे आफिसर या प्राधिकारी द्वारा भी या राज्य सरकार द्वारा भी या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे आफिसर या प्राधिकारी द्वारा भी जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए; तथा

(ख) जहां कि समुचित सरकार राज्य सरकार हो वहां राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे आफिसर या प्राधिकारी द्वारा भी जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

35. (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में या तदधीन बनाए गए नियमों में शिक्षुता परिषद् के प्रति निर्देश से, ऐसे स्थापन में के जिसके संबंध में समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार है, किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता-प्रशिक्षण के संबंध में केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् अभिप्रेत होगी, और ऐसे स्थापन में के, जिसके संबंध में समुचित सरकार, राज्य सरकार है, किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता-प्रशिक्षण के संबंध में राज्य शिक्षुता परिषद् अभिप्रेत होगी। निर्देशों का अर्थान्वयन।

(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में या तदधीन बनाए गए नियमों में शिक्षुता सलाहकार के--

(क) प्रति निर्देश से ऐसे स्थापन में के, जिसके संबंध में समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार है, किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण के संबंध में केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार, और ऐसे स्थापन में के, जिसके संबंध में समुचित सरकार राज्य सरकार है, किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता-प्रशिक्षण के संबंध में राज्य शिक्षुता सलाहकार अभिप्रेत होगा ;

(ख) प्रति निर्देश के अंतर्गत [1][अपर शिक्षुता सलाहकार, संयुक्त शिक्षुता सलाहकार, प्रादेशिक शिक्षुता सलाहकार उपशिक्षुता सलाहकार या सहायक शिक्षुता सलाहकार,] तब समझा जाएगा जब वह धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अपने को समनुदिष्ट शिक्षुता सलाहकार के कृत्यों का पालन कर रहा हो।

36. कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी। सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण।

37. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम यह उपबंध कर सकेंगे कि ऐसे किसी नियम का उल्लंघन जुर्माने से जो पचास रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

[2](3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, बीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में [अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

38. [निरसता] रिपोलिंग एंड अमडिंग ऐक्ट, 1964 (1964 का 52) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा निरसित।

---

1. 1973 के अधिनियम सं**0 27** की धारा **23** द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. 1973 के अधिनियम सं**0 27** की धारा **24** द्वारा प्रतिस्थापित ।

शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52)[1 सितम्बर, 1984 को यथाविद्यमान] के द्विभाषीय संस्करण का शुद्धिपत्र ः--

Corrigenda of the diglot edition of the Apprentices Act, 1961 (Act No. 52 of 1961) [As on the 1st September, 1984] ः--

पृष्ठ सं०/ Page No.	धारा/ Section	पंक्ति/ Line	के स्थान पर/ For	पढ़ें/ Read
2	2(च)	1	में परिश्रमिक	में पारिश्रमिक
3	पादटिप्पण 2	1	1973 के अधिनियम 27	1973 के अधिनियम सं. 27
4	3	1	शिक्ष	शिक्षु
4	4(1)	3	ली ा। ।	ली हो ।
4	4(4)	1	नियोजन द्वारा	नियोजक द्वारा
4	4(5)	2	उल्लीखित व्यक्ति संवि् दा	उल्लिखित व्यक्ति संविदा
6	8(3)	4	Apprentceship	Apprenticeship
6	7(3)	4	है की संविदा	है कि संविदा
6	8 पार्श्व शीर्ष	1	व्यवसाय क	व्यवसाय के
6	8(3क)(iii)	1	उपलक्ष्य	उपलभ्य
7	8(3) स्पष्टीकरण	3	ऐसी प्रशिक्षण	ऐसे प्रशिक्षण
7	8(5)	1	तो की ...यह है की	हो कि ...यह है कि
7	8(5)	4	सकेगी की वह	सकेगी कि वह
7	8(6)	2	जैसी की	जैसी कि
8	9(4क)	2	प्रशिक्षत	प्रशिक्षित
8	9(4क)	4	या औद्दोगिक	या औद्योगिक
8	9(5)	1	जहां की	जहां कि
8	9(7)	2	प्रशिक्षण ली है,	प्रशिक्षण भी है,
8	9(7क)	2	प्रौद्दोगिकी	प्रौद्योगिकी
9	10(1)	3	के लिए 3[उस	के लिए उसे आवश्यक है, 3[उस
10	13 side margin	1-2	Payment of Apprentices	Payment to Apprentices
10	13(2)	1	उसके नियोजन	उसके नियोजक
11	19 side margin	2	Urns.	turns.
12	Soldier heading	-	*Apprntices Act, 1961*	*Apprentices Act, 1961*
12	23(3)	2	उस इस	उसे इस
13	24(3)	2	सदस्य की पदावधी	सदस्य की पदावधि
13	24(3)	3	भरने की रिति	भरने की रीति
13	24(4)	2	के व्यक्ति	के व्यक्तियों

13	24(4)(ग)	2	व्यक्ति तथा ;4[तथा]	व्यक्ति, 4[तथा]
14	27(1)	2	संयु शिक्षुता सलाहकार,	संयुक्त शिक्षुता सलाहकार,
14	27(2)	3	समुनुदिष्ट	समनुदिष्ट
14	29(1)(क)	3	प ाृक्षा	परीक्षा
15	29(1)(d) Proviso	1	Apprentloeship	Apprenticeship
15	29(1)(d) Proviso	4	in clause(a),	in clauses (a),
15	पादटिप्पण 2	2	प्रतिस्थातित ।	प्रतिस्थापित ।
17	35(2)(ख)	4	कृत् ा।ं	कृत्यों
17	37(3)	1	2(3)	(3)
17	37(3)	3	में [अथवा	में 2[अथवा
17	37(3)	4	के पूर्व	के पूर्व]

शिक्षु अधिनियम, 1961

अनुसूची

(धारा 16 देखिए)

शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन के शिक्षुओं को लागू होने में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में उपान्तरण

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में--

(1) धारा (2) में,--

(क) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें --

(ङ) "नियोजक" से शिक्षु अधिनियम, 1961 में यथापरिभाषित ऐसा नियोजक अभिप्रेत है, जिसने एक या अधिक शिक्षुओं को रखा है;

(ख) खंड (ट) का लोप करें;

(ग) खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें --

(ड) "मजदूरी" से वह वृत्तिका अभिप्रेत है जो शिक्षु को शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 13 (1) के अधीन संदेय हैं;';

(घ) खंड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें--

(ढ) "कर्मकार" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शिक्षु अधिनियम, 1961 में यथापरिभाषित शिक्षु के रूप में रखा गया है और जो अपने शिक्षुता-प्रशिक्षण के अनुक्रम में किसी ऐसी हैसियत में नियोजित है जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है;';

(2) धारा 12 का लोप करें;

(3) धारा 15 का लोप करें;

(4) धारा 21 (1) के परन्तुक का लोप करें;

(5) धारा 24 में से "या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ" शब्दों का लोप करें;

(6) धारा 30 (1) में से खंड (घ) का लोप करें;

(7) अनुसूची 2 में से खंडों (vi), (xii), (xiii), (xvii), (xviii), (xx), (xxii), (xxiv), (xxv) और (xxxii) का लोप करें ।

******